


उनवान:- बनीसिंह बनाम ~~जुगल रामवीर~~

दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा

नांक	फर्द अहकाम	
1	<p>वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा वावत स्थाई निषेधाज्ञा राज0टी0एक्ट, के तहत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के सम्मन जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 13.07.2021 को पेश हो।</p>	<p>2963-65 17/6/21</p>
	<p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद मीना) उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	
3.7.21	<p>वादी वकील उप0 प्रतिवादीगण की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा A.V. ने कालतनामा पेश किया। जबाब पेश करने दिनांक 27.7.21 को पेश हो।</p>	
27.7.21	<p>वकुलाय उप0 P.O साइब अफसर पर ही गतानुसार जबाब पेश करने दिनांक 27.8.21 को पेश हो।</p>	
01/8/21	<p>वकुलाय उप0 जबाब पेश करने पत्रावली दिनांक 29/09/21 को पेश हो।</p>	
29 9/21	<p>वादी वकील/वकील समूह का उपस्थित पीठासीन अधिकारी करौली जिले में पधारें हैं। पत्रावली गतानुसार दिनांक...7.12.21 को पेश हो।</p>	
7/12/21	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुक्य कार्य में व्यरवध है। गतानुसार दिनांक 13.12.21 को पेश हो।</p>	
13-1-22	<p>वकुलाय उपस्थित / P.O साइब अफसर पर पत्रावली जबाब पेश करने दिनांक 14-2-22 को पेश हो।</p>	

यालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

सर्वे अहकाम

पत्रावली पोसापुरी उपनगर कमीत सिव्हासिंह
उपनगरपालिका कमीत पोसापुरी - कालिका हुवा काय - काय
पोसापुरी विहासले जने के कायपुर, सिव्हासिंह-कालिका
उहे से कायपुरा का हुवा काय - काय - सिव्हासिंह काय
काय काय पोसापुरी कमीत सिव्हासिंह काय है।

पत्रावली पोसापुरी उपनगर काय से कायपुर
काय सिव्हासिंह काय है।

